## अम्बाला अपराध समाचार

### तेजधार चाकू सहित आरोपी काबू

**अम्बाला, 8 फरवरी (गुलशन कुमार)।** थाना अम्बाला छावनी क्षेत्र प्रकाश हलवाई चौक के पास से गश्त के दौरान पुलिस ने आरोपी नवदीप सिंह निवासी गांव डुलियानी थाना मुलाना को अवैध तेजधार चाकू सहित गिरफ्तार कर थाना अम्बाला छावनी में मामला दर्ज किया। आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेजा गया। थाना अम्बाला छावनी के पुलिस दल द्वारा गत रात्रि अपराधों की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड़ के लिए थाना के क्षेत्र प्रकाश हलवाई चैंक के पास गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान आरोपी लाईट की रोशनी में आता दिखाई दिया और पुलिस दल को देखकर वापिस मुड़कर भागने की कोशिश करने लगा। शक के आधार पर आरोपी को पकड़कर तलाशी लेने पर उससे एक तेजधार अवैध चाकू बरामद हुआ। आरोपी की पहचान नवदीप सिंह निवासी गांव डुलियानी थाना मुलाना के रूप में हुई जिसे गिरफ्तार कर थाना अम्बाला छावनी में मामला दर्ज किया।

### स्नैचिंग के मामले में नाबालिग आरोपी को पुलिस सरंक्षण में लिया

**अम्बाला।** थाना शहजादपुर में दर्ज स्नैचिंग के मामले में प्रबन्धक थाना निरीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी नाबालिग को पुलिस सरंक्षण में लिया। आरोपी नाबालिग को न्यायालय के आदेशानुसार ओबर्जवेशन होम अम्बाला में भेजा गया। इस मामले के सम्बन्ध में राजू निवासी माण्डलगढ यूपी ने 19 अगस्त 2021 को थाना शहजादपुर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 18/19 अगस्त 2021 की रात्रि को शहजादपुर के पास से 3/4 अज्ञात ने उससे आईसक्रीम, मोबाइल व नकदी छीन ली है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी।

### नकदी छीनने के मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार

**अम्बाला।** थाना अम्बाला छावनी में दर्ज स्नैचिंग के मामले में प्रबन्धक थाना निरीक्षक नरेश कुमार के नेतृत्व में हाऊसिंग बोर्ड पुलिस चैंकी इन्चार्ज उप-निरीक्षक बलकार सिंह ने आरोपी सागर निवासी छप्परबन्द मौहल्ला अम्बाला छावनी को गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस मामले में संलिप्त तीन आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले के सम्बन्ध में राजन निवासी नजदीक नागपाल अस्पताल गोपीविहार शाहबाद मारकण्डा ने 04 फरवरी 2022 को थाना अम्बाला छावनी में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 02 फरवरी 2022 को हाथीखाना मन्दिर अम्बाला छावनी के पास से आरोपी शुभम, सुमीत, सागर व पिन्टु उसकी जेब से नकदी छीन कर फरार हो गए। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी।

### धोखाधड़ी के मामले में दूसरे आरोपी को किया जांच में शामिल

**अम्बाला।** थाना मुलाना मे दर्ज धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने निरीक्षक सुभाष कुमार के नेतृत्व में आरोपी सुरेश कुमार निवासी नजदीक बांके बिहारी मन्दिर गोविन्द नगर अम्बाला छावनी को शामिल जांच कर न्यायिक प्रक्रियानुसार कार्यवाही की। इस मामले के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता पीड़ित महिला ने 20 जुलाई 2021 को थाना मुलाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी नरेन्द्र, विकास, प्रताप सिंह व बालक राम ने 16 जुलाई 2012 को जमीन की रजिस्ट्री में उससे धोखाधड़ी करने का अपराधिक कार्य किया है। इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी थी।

### शराब पीकर सरकारी कार्य को बाधित करते के मामले में आरोपी गिरफ्तार

**अम्बाला।** थाना नारायणगढ़ क्षेत्र सैक्टर-4 हुड्डा कमर्शियल कम्पलैक्स नारायणगढ़ में शराब पीकर मारपीट कर सरकारी कार्य को बाधित कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी मोहित कुमार निवासी गांव मिर्जापुर थाना नारायणगढ़ जिला अम्बाला को गिरफ्तार कर थाना नारायणगढ़ में मामला दर्ज किया। आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 5 फरवरी 2022 की रात्रि थाना नारायणगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी कि सैक्टर-3 हुड्डा कमर्शियल कम्पलैक्स नारायणगढ़ में कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उपद्रव मचा रहे है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरन्त घटनास्थल पर पहुँच कर कार्यवाही की तो आरोपी मोहित कुमार, प्रिन्स, कृष्ण, साहिल उर्फ पारित व सप्पटर नामक युवकों ने शराब के नशे में पुलिस दल से अभद्र व्यवहार कर सरकारी कार्य को बाधित करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर थाना नारायणगढ़ में मामला दर्ज किया। इस मामलें मे संलिप्त मौके से फरार अन्य आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।

# चिन्हित अपराध को लेकर डीसी ने ली अधिकारियों की बैठक

**अम्बाला, 8 फरवरी (नितिन कुमार)।** उपायुक्त विक्रम सिंह ने अपने कार्यालय में चिन्हित अपराध विषय को लेकर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ एक बैठक लेते हुए इस विषय के दृष्टिगत की जा रही कार्रवाई बारे यानि केसों की स्थिति सम्बन्धित जानकारी लेते हुए विस्तार से समीक्षा की और सम्बन्धित को निर्देश दिये कि केसों से सम्बन्धित जो भी स्थिति होती है उसकी रिपोर्ट संबधी डिटेल उपायुक्त कार्यालय में देना सुनिश्चित करें। बैठक में चिन्हित अपराध के दृष्टिगत अधिकारियों से चर्चा करते हुए दो नये केसों को इसमें शामिल किया गया है। उपायुक्त विक्रम सिंह ने चिन्हित अपराध विषय के दृष्टिगत जिला न्यायवादी से बिंदुवार इन केसों से सम्बन्धित जानकारी हासिल की। जिला न्यायवादी ने उपायुक्त को अवगत करवाते हुए बताया कि चिन्हित अपराध की श्रेणी में आने वाले केसों में पोक्सो एक्ट के साथ-साथ अन्य संदिग्ध व गंभीर केसों को शामिल किए जाने का प्रावधान है। इन केसों के तहत पहले 8 केस शामिल किए गये थे और आज की बैठक के बाद दो केसों को इसमें शामिल किया गया है। इन केसों में से तीन केस कोर्ट में आरगुमैंट की अंतिम स्थिति में हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिये कि चिन्हित अपराध के तहत जो भी केस शामिल होते हैं उनमें नियमानुसार तेजी लाएं ताकि कोर्ट में इन केसों से सम्बन्धित कार्रवाई में तेजी लाई जा सके। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूजा डाबला, जिला न्यायवादी सतप्रकाश, डीएसपी जेल डा. राजीव अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।

# उद्योगों के विकास के लिए दी जा रही 35 प्रतिशत तक सब्सिडी

**अम्बाला, 8 फरवरी (नितिन कुमार)।** उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि सरकार खाद्य प्रंसस्करण से जुड़े उद्यमों को आसान ऋ ण व तकनीकी सहायता जैसे कई कदमों के माध्यम से लगातार सशक्त बना रही है ताकि इन उद्योगों में बने उत्पाद की बाजारों से प्रतिस्पर्धा की क्षमता हो और वे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मजबूत भागीदार बनें।

सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रंसस्करण उन्नयन योजना के तहत अपने खाद्य प्रंसस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए बैंक से लोन लेने पर प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रूपए दिए जाने का प्रावधान है। उपायुक्त ने बताया कि ओ.डी.ओ.पी. के तहत प्रोडक्ट प्याज के स्थान पर दूध व डेयरी, उत्पादो जैसे पनीर, दही, घी को सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है। जिसके तहत उद्यमी ओ.डी.ओ.पी. के अनुसार नए प्रोजैक्ट लगाने के लिए बैंक से लोन व सबसिडी भी प्राप्त कर सकते है। उद्यमियों को उत्पादों के लिए प्रशिक्षण और तकनिकी सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। जिला एम.एस.एम.ई. केंद्र के सहायक निदेशक बहादुर सिंह ने बताया कि आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 8वीं कक्षा तक की शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है। इस योजना में ऋ ण प्राप्त करने के लिए उद्यमी पोर्टल **www.mofpi.gov.in** तर पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है व जिला स्तर जिला एम.एस.एम.ई केंद्र अम्बाला से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

उन्होने बताया कि इस योजना के तहत आवेदको को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की गई है। योजना की जानकारी के लिए उद्यमी मोबाइल नंबर

# जीएमएन कॉलेज की छात्रा रबनूर को किया सम्मानित

**अम्बाला छावनी, 8 फरवरी (नितिन कुमार)।** जीएमएन कॉलेज के सभागार में प्राचार्य डॉ. राजपाल सिंह की अध्यक्षता में जीएमएन कॉलेज की छात्रा रबनूर द्वारा प्राप्त उपलब्धियों बारे सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कॉलेज गवर्निंग बॉडी के फाइनेंस सेक्रेटरी आलोक गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कॉलेज एलुमिनाई एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अंजलि वधावन उपस्थित रहीं। रबनूर के साथ उसकी माता मनजीत कौर और पिता सतिंदर पाल सिंह और रबनूर के प्रेरणा स्रोत उनके चाचा हरपाल सिंह पधारे हुए थे। सभी विभागाध्यक्षों की तरफ से भी छात्रा रबनूर को प्रोत्साहन स्वरूप फूलों की एक छड़ी भेंट की गई। प्राचार्य डॉ राजपाल सिंह ने कहा कि छात्रा रबनूर ने कॉलेज की तरफ से जिस भी प्रतियोगिता में भाग लिया वह प्रतियोगिता उसी के नाम रही और एनसीसी में आरडीसी परेड में हिस्सा लेकर व डीजी द्वारा प्रशस्ति पत्र पाकर कॉलेज की गरिमा और गौरव को गर्व से ऊंचा कर दिया। मंच संचालन कर रहे डॉ अमित कुमार ने छात्रा रबनूर को मंच पर बुलाकर उसके अनुभवों को और उसकी उपलब्धियों को प्राप्त करने का सफर बताने के लिए प्रोत्साहित किया। अंजली वधावन ने 2100 रुपए आशीर्वाद के रूप में छात्रा रब नूर को भेंट किए। कॉलेज गवर्निंग बॉडी की तरफ से छात्रा रबनूर को एक विजयी ट्रॉफी दी गई जिसके बाद डॉ राजेंद्रा ने छात्रा रबनूर के लिए साइटएशन सभी श्रोताओं के बीच पढ़कर सुनाया। प्राचार्य महोदय ने छात्रा रबनूर को कॉलेज की तरफ से पदक देकर सम्मानित किया जिसके बाद कॉलेज के डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉ सुदर्शन गासो ने अपना धन्यवाद मनोरंजक रूप से सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। यह कार्यक्रम भविष्य में छात्र छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

# बिजली कर्मियों का दो घंटे का प्रदर्शन

**अम्बाला छावनी, 8 फरवरी (गुलशन कुमार)।** एचएसईबी वर्कर यूनियन के तत्वावधान में आज बिजली विभाग के प्रदेश के सर्कल स्तर (जिला)अधिक्षक अभियंता के कार्यालयों पर सुबह 9 से 11 बजे तक दो घंटे का प्रदर्शन किया गया। अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, नारायणगढ़ की यूनिटों से आये पदाधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए देवी प्रसाद भट्ट मुख्य प्रवक्ता एचएसईबी वर्कर यूनियन एवं जिला प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ कहा कि हरियाणा सरकार को कर्मचारियों की लम्बित पड़ी मांगों को लागू करने के लिए 30 दिसम्बर को गोहाना की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हुए फैसले में 22फरवरी की प्रदेश व्यापी हड़ताल के लिए धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 8 फरवरी 2021 को घोषणा भी की परन्तु एक साल हो गया अभी तक फैसला लागू नहीं किया। आज के प्रदर्शन में अम्बाला कैंट यूनिट के प्रधान त्रिलोचन सिंह, राजकुमार, अशोक शर्मा, विकास मंगल, लक्ष्मी दत्त पाण्डेय, मदन मोहन पाण्डेय, अश्वनी खन्ना, अजय सैमी, राकेश कुमार, एसएस नरवाल, गुरूप्रीत सिंह, रमन बक्सी, सुशील, रामलाल ने सम्बोधित किया।

MALHOTRA
Refrigeration Works
Engineers, Contractors & General Order Suppliers
Authorised Dealer HPL
Prop. Hemant Malhotra
163, Gandhi Market, Ambala Cantt -133001
Mob. : 92156-03198, Ph. : 0171-4000298